

न्यायालय : अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01 बाड़मेर,
जिला बाड़मेर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. सिम्पल शर्मा, जिला न्यायाधीश संवर्ग

दीवानी विविध प्रकरण संख्या :- 51/2024

सी.आई.एस. नंबर :- 50/2024

1. रामसिंह पुत्र स्व. मेघसिंह राजपूत, उम्र 70 वर्ष, निवासी सरदारपुरा,
बाड़मेर, तहसील व जिला बाड़मेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. मुकेश कुमार पुत्र श्यामसुन्दर वैष्णव, निवासी कल्याणपुरा, सुनारो का बास,
वार्ड नंबर-16, तहसील व जिला बाड़मेर
2. गौरव वैष्णव पुत्र श्यामदास उर्फ श्यामलाल वैष्णव, निवासी कल्याणपुरा,
सुनारो का बास, वार्ड नंबर 16, तहसील व जिला बाड़मेर

..... विप्रार्थीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी ::

उपस्थित :-

- 1- श्री शिवरतन सोनी विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
- 2- श्री राणाराम गौण विद्वान् अधिवक्ता विप्रार्थीगण की ओर से।

:: आदेश ::

दिनांक : 27.03.2026

1. वादी/प्रार्थी ने एक वाद बाबत घोषणा, कब्जा जायदाद, वसूली अन्तःकालीन लाभांश की राशि, स्थाई निषेधाज्ञा व आदेशात्मक आज्ञा जारी करने का अप्रार्थीगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

वाद मे लिखे तथ्यो से प्रार्थी के पक्ष मे मजबूत प्रथम दृष्टया मामला है व प्रार्थी को वाद मे सफलता मिलने की पूरी पूरी आशा व उम्मीद है।

2. प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य यह है कि प्रार्थी के दादा ठाकुर प्रतापसिंह पुत्र बलवंतसिंह जी राजपुत का एक स्वामित्व व आधिपत्य का एक पट्टासुदा भुखण्ड बाड़मेर मे स्टेशन के पास, मीशानन्द की कुटीया के पास दखणाद उगमण में आया हुवा था, जो वर्तमान आबादी खसरा नंबर-3150/1585 (तीन हजार एक सो पचास/पन्द्रह सो पिचयासी) मे स्थित है, इस भूमि के संबंध मे बाड़मेर के तत्कालीन शासक जागीरदारान पांचो भारावतो ने सम्वत् 1981 (सन् 1924) की मिति मिगसर सुदी पाचम को उनके कब्जे की पुष्टी करते हुए रियायत करके रूपया 251 अक्षरे दो सो इकावन रूपये प्राप्त कर प्रार्थी के दादा प्रतापसिंह जी के पक्ष मे पट्टा जारी कर दिया था, जिस पट्टे की कोपी मय हिन्दी रूपान्तरण के हमरा पेश है। प्रार्थी के दादा श्री प्रतापसिंह पुत्र बलवन्तसिंह राजपुत के उपरोक्त पट्टासुद बाड़े के वर्तमान हदूद अनुसार उत्तर में गली, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में कस्तुरी का मकान व परिश्चम में देवीलाल सोनी का मकान आया हुआ है। जिसके नाप बाड़मेर में प्रचलित रिवाज अनुसार एक हाथ = 22 इंच, पूव-पश्चिम में 165 फीट व उत्तर-दक्षिण में 58.8 फीट है।
3. प्रार्थी के दादा प्रतापसिंह जी पुत्र बलवंतसिंह जी व उनकी धर्मपत्नी का देहांत कई वर्षों पूर्व हो गया था, तत्पश्चात उक्त हदूद व नाप की पट्टासुदा जमीन के एकमात्र मालिक प्रतापसिंह पुत्र मेघसिंह राजपुत हुए, जिन्होंने अपनी उपरोक्त पट्टासुदा जमीन में से इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में दर्शाये अनुसार A भाग बनाप 19.3 गुणा 58.8 फुट को चन्द्रनाथ पुत्र सोननाथ को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के बेचान कर उसका कब्जा सुपुर्द किया व नक्शे मे दुर्शाये B भाग बनाप 19.3 गुणा 58.8 फुट का बेचान उन्होने श्यामलाल पुत्र शंकरानन्द को जरिये रजिस्टर्ड बेचान के दिनांक 17.07.1962 को कर उसका कब्जा सुपुर्द कर दिया एवं नक्शे में दर्शित C भाग बनाप 38.6 गुणा 50 फुट को सतीबाई पत्नि गोरखसिंह को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के दिनांक 14.09.1970 को बेचान कर उसका

कब्जा सुपुर्द किया, इस प्रकार प्रार्थी के पिता मेघसिंह ने अपने जीवनकाल में अपनी पट्टासुदा जमीन बनाप 165 गुणा 58.8 फीट में से ऊपर लिखे अनुसार चन्द्रनाथ, श्यामलाल एवं सतीबाई को कमशः 19.3 गुणा 58.8, 19.3 गुणा 58.8, 38.6 गुणा 50 फुट कुल 77 गुणा 58.8 फुट बेचान करने के बाद प्रार्थी के पिता मेघसिंह के पास—शेष जमीन (165 गुणा 58.8 – 77 गुणा 58.8) = 88 गुणा 58.8 फुट रही, का प्रार्थी के पिता मेघसिंह ने मौखिक बंटवारा अपने जीवनकाल में अपने दो पुत्रो कमशः देवीसिंह व प्रार्थी रामसिंह के मध्य करते हुवे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे मे दर्शित D भाग बनाप 40 गुणा 50 फुट को अपने पुत्र देवीसिंह के बंट मे दिया व उसके पास ई भाग से दर्शित भूमि बनाप 15 गुणा 58.8 फुट की जमीन मे प्राईवेट गली आने जाने हेतु छोड़ते हुए उस गली के पास नक्शे मे दर्शित F भाग बनाप 28 गुणा 58.8 फुट की जमीन प्रार्थी रामसिंह के बंट मे दी। प्रार्थी के पिता मेघसिंह द्वारा अपने बड़े पुत्र देवीसिंह को जो जमीन नक्शे मे दर्शित D भाग बनाप 40 गुणा 50 फुट, की मौखिक बंट मे दी गई थी, उस जमीन को प्रार्थी के सगे भाग देवीसिंह ने गोरखसिंह पुत्र सुजानसिंह को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 19.01.1979 को बेचान कर उसका कब्जा सुपुर्द कर दिया, इस प्रकार नक्शे में दर्शित F भाग की जमीन अ ब स द, जिसे प्रार्थी के पिता ने प्रार्थी को बंट में दी थी, का एकमात्र मालिक, स्वत्वाधारी, कब्जाधारी व पट्टाधारी प्रार्थी रामसिंह हुवा व है, जिस जमीन के हदूद पूर्व मे प्राईवेट गली, उत्तर में गली, दक्षिण मे आम रास्ता है व नाप पूर्व—पश्चिम 28 फीट उत्तर—दक्षिण— 58.8 फीट यानि 28 गुणा 58.8 = 1646.4 फुट है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अपने दादा प्रतापसिंह पुत्र बलवन्तसिंह राजपुत की पट्टासुदा जायदाद का संपुर्ण नक्शा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस नक्शे मे बताया गया F भाग बमार्क अ ब स द बनाप 28 गुणा 58.8 फुट प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य व मिल्कीयत का पट्टासुदा भूखण्ड है, जिसमे दर्शित मार्क अ ब ल र व एवं व र य द प्रार्थी के पट्टासुदा भूखण्ड का अभिन्न हिस्सा है, जिसे इस प्रार्थना पत्र मे वादग्रस्त भूखण्ड के नाम से संबोधित किया जायेगा। नक्शे मे बताये गये जी भाग, जो र ल स य बनाप 18

गुणा 22 फुट से दर्शाया गया है, जिस निस्बत प्रार्थी द्वारा जसराज के विरुद्ध अलग से दावा वगैरा प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे को इस प्रार्थना पत्र का भाग समझा जाकर उसी अनुरूप पढा जावे। प्रार्थी के पिता द्वारा श्यामलाल को बेचान किये गये भूखण्ड, सती बाई को बेचान किये गये भूखण्ड की फोटोकॉपी व प्रार्थी के भाई देवीसिंह द्वारा गोरखसिंह को रजिस्टर्ड बेचाननामा के जरिये बेचान किये गये भूखण्ड की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश है एवं प्रार्थी के पिता द्वारा चन्द्रनाथ को व सतीबाई को रजिस्टर्ड बेचान के जरिये बेचान किये गये भूखण्ड की प्रमाणित प्रतिलिपी मिलने पर प्रस्तुत की जायेगी।

4. प्रार्थी अपने बंट में आये भूखण्ड, जिसे नक्शे में F मार्क से अ ब स द बनाप 28 गुणा 58.8 मार्क से दर्शित किया गया है, की देखरेख करने हेतु प्रार्थी साल में एक बार आता-जाता था। प्रार्थी अपने भूखण्ड की सार संभाल करने हेतु 24.09.2024 को गया तो प्रार्थी को अपने पट्टासुदा भूखण्ड पर मजदूर व कारीगर काम करते हुवे मिले व उक्त भूखण्ड पर निर्माण सामग्री वगैरा भी पड़ी हुई मिली तो प्रार्थी को अपने पट्टासुदा भूखण्ड पर निर्माण कार्य होता देख बड़ा आश्चर्य व दुख हुआ, जिस निर्माण कार्य का फोटो प्रार्थी ने खींचा। प्रार्थी द्वारा इस बाबत आस-पड़ौस में जानकारी करने पर प्रार्थी को मालुम पड़ा कि प्रार्थी की मिल्कीयत के पट्टासुदा भूखण्ड, जिसे नक्शे में F मार्क से दर्शित किया गया है, जिसमें से नक्शे में दर्शित अ ब ल र व मार्क से दर्शित भाग की भूमि बनाप 40.8 गुणा 28 फुट पर अप्रार्थी नंबर 1 द्वारा व नक्शे में व र य द मार्क से दर्शित भाग बनाप 6 गुणा 18 फुट की भूमि पर अप्रार्थी नंबर- 2 द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है तो प्रार्थी अप्रार्थीगण से जाकर मिला और उन्हें अपने मिल्कीयत की भूमि पर निर्माण कार्य करने बाबत ओलंभा दिया व निर्माण कार्य तुरन्त प्रभाव से रोकने का कहा, लेकिन बावजूद कहने के भी अप्रार्थीगण अपनी जिद्द पर अड़े हुवे हैं व प्रार्थी को स्पष्ट रूप से यह धमकी दी है कि वो येन-केन-प्रकारेण प्रार्थी की मिल्कीयत के वादग्रस्त भूखण्ड पर अपनी मर्जी अनुसार निर्माण कार्य करवाके रहेंगे, प्रार्थी उनका कुछ नहीं बिगाड सकता क्योंकि उनकी अप्रोच उपर तक है, जबकि

अप्रार्थीगण को प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि पर कोई किसी प्रकार का कब्जा कर निर्माण कार्य करने का कानूनन कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है, अप्रार्थीगण द्वारा संलग्न नक्शे में दर्शित प्रार्थी के मिल्कीयत व पट्टासुदा भूमि पर अवैध रूप से कानून को हाथ में लेकर कब्जा कर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसे इस प्रार्थना-पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संलग्न नक्शे में दर्शित अ ब ल र व भाग के भूखण्ड के हद्द- पूर्व में प्राईवेट गली, पश्चिम में मेघसिंह द्वारा श्यामलाल पुत्र शंकरानन्द को बेचान किया गया भूखण्ड, उत्तर में गली व दक्षिण में अप्रार्थी नंबर 2 गौरव वैष्णव द्वारा नाजायज तरीके से प्रार्थी की पट्टासुदा भूमि व र य द बनाप 6 गुणा 18 फुट पर कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है व उसके पास र ल स य प्रार्थी की मिल्कीयत की पट्टासुदा भूमि, जिसका बेचान अप्रार्थी नंबर 2 द्वारा नाजायज व गैर कानूनी रूप से जसराज सोनी को किया गया है, जिस पर उसने बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर दी, जो आई हुई है तथा नाप- 40.8 गुणा 28 फीट है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संलग्न नक्शे में दर्शित व र य द भाग के भूखण्ड के हद्द पूर्व में जसराज पुत्र सवाईराम को अप्रार्थी नंबर- 2 द्वारा नाजायज रूप से बेचान किया गया भूखण्ड पश्चिम में प्रार्थी के पिता मेघासिंह द्वारा श्यामलाल पुत्र शंकरानन्द को बेचान किया गया भूखण्ड उत्तर में प्रार्थी की पट्टासुदा भूमि, जिस पर अप्रार्थी नंबर 1 द्वारा कब्जा कर नाजायज रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है, दक्षिण में आम रास्ता तथा नाप- 6 गुणा 18 फीट है।

5. इस प्रकार इस प्रार्थना पत्र के उपरोक्त पदों में लिखे माफिक व प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 में वर्णितानुसार प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा में अ ब ल र व मार्क बनाप 28 गुणा 40.8 फीट एवं नक्शे में दर्शित व र य द बनाप 6 गुणा 18 फुट जमीन प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य के पट्टासुदा भूखण्ड का अभिन्न हिस्सा है, उस पर अप्रार्थीगण द्वारा नाजायज तरीके से कानून को हाथ में लेकर कब्जा कर निर्माण करवाया जा रहा है, यह निर्माण कार्य रोकते हुवे व किये गये निर्माण कार्य को डिमोलिश करते हुवे उसका कब्जा प्रार्थी को दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है, जिस

बाबत यह प्रार्थना पत्र पेश है।

6. अप्रार्थीगण द्वारा कानून को हाथ में लेकर नाजायज तरीके से प्रार्थी के मिल्कीयत व पट्टासुदा वादग्रस्त जमीन पर जोरो से कारीगरो व मजदूरो के मार्फत निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जबकि अप्रार्थीगण को प्रार्थी के वादग्रस्त भूखण्ड पर कोई किसी प्रकार का निर्माण कार्य आदि करवाने का कानूनन विधिक अधिकार हासिल नहीं है। अगर वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा संपूर्ण निर्माण कार्य करवा दिया गया तो प्रार्थी के हक अधिकारो पर कुठाराघात होगा और प्रार्थी अपने भूखण्ड का मालिक होते हुए भी उसका उपयोग उपभोग करने से हमेशा के लिये महरूम हो जायेगा। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूखण्ड पर जो निर्माण कार्य ज्यादा तादाद में कारीगरो व मजदूरो के मार्फत करवाया जा रहा है, उसके डिजीटल फोटो हमरा पेश है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के वादग्रस्त भूखण्ड पर जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है, जिस बाबत यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का हमरा पेश है।
7. अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को यह भी धमकी दी है कि वो प्रार्थी के वादग्रस्त भूखण्ड पर संपूर्ण निर्माण कार्य कर उसे अन्य को बिना किसी अधिकार के बेचान या बेचान इकरार कर हस्तांतरण कर तृतीय पार्टी का कब्जा करवा देंगे, जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कानूनन कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है, इसलिए अप्रार्थीगण को ऐसा करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है, जिस हेतु भी यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र हमरा पेश है।
8. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद के अंतिम निर्णय में समय लगने की संभावना है। अप्रार्थी नंबर 1 द्वारा प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य के वादग्रस्त भूखण्ड, जिसे नक्शे में अ ब ल र व मार्क बनाप 28 गुणा 40.8 फीट एवं अप्रार्थी नंबर 2 द्वारा नक्शे में दर्शित व र य द बनाप 6 गुणा 18 फुट भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करते हुए निर्माण कार्य ज्यादा तादाद में मजदूर व कारीगर लगाकर एक अतिक्रमी की हैसियत से प्रार्थी

के भूखण्ड पर काबिज रहते हुए बिना किसी अधिकार के निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसका कि अप्रार्थीगण को कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, जिस कारण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वादग्रस्त भूखण्ड पर अब आगे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करने से अप्रार्थीगण को रोका जाना व वादग्रस्त भूखण्ड की आज दिन की मौके की स्थिती यथावत बनाये रखे जाने हेतु भी अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है, जिस बाबत यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध हमरा पेश है।

9. प्रथम दृष्टया मुकदमा, सुविधा का संतुलन भी उपरोक्त पदो मे लिखे माफिक प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने में है, जहां तक अपूर्णय क्षति का प्रश्न है, उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे है, क्योकि वादग्रस्त भूखण्ड इस प्रार्थना पत्र के उपरोक्त पदो मे लिखे माफिक प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य का पट्टासुदा भूखण्ड है, जिस भूखण्ड मे अप्रार्थीगण का किसी भी प्रकार से कोई हित व अधिकार नही है, अप्रार्थीगण का कब्जा एक अतिकमी की हैसियत से है, ऐसी स्थिती मे अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने में अप्रार्थीगण को कोई किसी प्रकार की क्षति एवं असुविधा होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। अगर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये नही रोका गया तो प्रार्थी को अप्रार्थीगण की अपेक्षा अधिक हानि व नुकसान होगा और वो वादग्रस्त भूखण्ड के उपयोग व उपभोग से हमेशा के लिये वंचित हो जायेगा।
10. अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद के अंतिम निर्णय तक प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 मे वर्णित प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य के पट्टासुदा वादग्रस्त भूखण्ड पर कोई किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे, न ही अपने नुमाईन्दो आदि के मार्फत करावे, न ही वादग्रस्त भूखण्ड का

बेचान, बेचान इकरार या अन्य प्रकार से हस्तांतरित करते हुए तृतीय पार्टी का कब्जा ही कियेट करे एवं वादग्रस्त भूखण्ड की आज दिन की मौके की स्थिती यथावत बनाये रखे।

11. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना-पत्र का जवाब विप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण के विरुद्ध गलत, निराधार एवं मिथ्या आधारों पर दीवानी वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी को हस्तगत प्रकरण में लैशमात्र भी सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपने दादा ठाकुर प्रतापसिंह पुत्र बलवन्तसिंह के स्वामित्व का भूखण्ड होने का जो उल्लेख किया गया है, वह पूर्णतया मिथ्या एवं निराधार अंकित किया है। प्रार्थी द्वारा वर्ष 1924 में अपने दादा के पक्ष में पांचों भारावतों द्वारा जारी 100 वर्ष पुराने तथाकथित पट्टे का उल्लेख किया है, जबकि तथाकथित पट्टा तत्समय प्रचलित कानून अर्थात् जोधपुर स्टेट (मारवाड़) द्वारा जारी स्टाम्प पेपर पर निष्पादित नहीं है और न ही तत्कालीन रियासत जोधपुर स्टेट (मारवाड़) द्वारा जारी पंजीबद्ध प्रक्रिया के अधीन निष्पादित है। उक्त तथाकथित पट्टा वास्तव में पट्टा विलेख नहीं है, केवल मात्र एक सादे कागज पर लिखी इबारत है, जो कि पट्टा विलेख की श्रेणी में नहीं आता है। वास्तव में 100 वर्ष पूर्व अर्थात् तत्समय बेचान मारवाड़ के शासक द्वारा जारी स्टाम्प व मोहर लगाकर पंजीबद्ध की प्रक्रिया विद्यमान थी, तथाकथित पट्टा सन् 1947 में भारत आजाद होने के साथ ही रियासतकालीन दिए गए समस्त अधिकार समाप्त हो गए एवं तत्पश्चात् वर्ष 1956 में जागीर उन्मूलन अधिनियम प्रभाव में आते ही समस्त राजस्थान में जागीरदारी प्रथा समाप्त कर दी गई। प्रार्थी द्वारा 100 वर्ष पुराने प्रस्तुत तथाकथित सादे पेपर में किसी प्रकार का कोई खसरा नंबर अंकित नहीं है और न ही पड़ौस का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा इस पद में एक तरफ तो 100 वर्ष पुराने पट्टे का उल्लेख किया जा रहा है और दूसरी तरहफ वर्तमान नाप व पड़ौस व खसरे का उल्लेख किया जा रहा है।

12. प्रार्थी द्वारा जो खसरा नंबर 3150/1585 का उल्लेख किया है, वह वास्तव

में मूल खसरा नंबर 1585 का भाग है। खसरा नंबर 1585 वक्त सेटलमेंट वर्ष 1952 में बिल्ला कब्जा गैर मुमकिन आबादी भूमि का राजय सरकार के नाम दर्ज किया गया था, जिस पर बाड़मेर शहर बसा हुआ था। यदि प्रार्थी के दादा का खसरा नंबर 1585 में तथाकथित भूखण्ड या बाड़ा पर कब्जा विद्यमान होता तो अवश्य ही उक्त सेटलमेंट उनके नाम दर्ज किया जाता, परंतु तत्समय प्रार्थी के दादा खसरा नंबर 1585 की भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। उक्त नाप का भूखण्ड विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के स्वामित्व एवं आधिपत्यशुदा है, जो पूर्व-पश्चिम 31 फीट 03 इंच, उत्तर-दक्षिण 20 फीट 08 इंच तथा जिसके पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में गौरव वैष्णव पुत्र श्यामदास का मकान, उत्तर में गौरव पुत्र श्यामदास का मकान तथा दक्षिण में जसराज सोनी का 03 मंजिला व्यवसायिक परिसर व राजेश कुमार का मकान आया हुआ है। उपरोक्त भूखण्ड श्यामदास के स्वामित्व व आधिपत्य में विद्यमान रहा, तत्पश्चात् श्यामदास के देहान्त के बाद दिनांक 24.01.1997 के पश्चात् उक्त मकान जेठी देवी धर्मपत्नी श्यामदास के स्वामित्व एवं आधिपत्य में रहा। तत्पश्चात् जेठी देवी द्वारा उक्त मकान जरिए रजिस्टर्ड भेंटनामा अपनी दोहिती ललिता देवी धर्मपत्नी राजेश कुमार पुत्री श्यामसुन्दर के पक्ष में निष्पादित किया गया था, तत्पश्चात् स्वयं जेठी देवी द्वारा ललिता के पक्ष में निष्पादित भेंटपत्र निरस्त करने हेतु एक दीवानी वाद सिविल न्यायाधीश, बाड़मेर तथा उसके बाद अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या 01, बाड़मेर के न्यायालय में अंतरित किया गया। उक्त प्रकरण में उपरोक्त मकान का भौतिक सर्वेक्षण मौका कमिश्नर द्वारा किया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 01.05.2020 को जेठी देवी के निधन होने पर उसके कायम मुकाम गौरव वैष्णव स्थापित किया गया। ललिता देवी द्वारा उक्त मकान जरिए रजिस्टर्ड भेंटपत्र विप्रार्थी संख्या 1 को सुपुर्द किया गया, जिसमें विप्रार्थी संख्या 1 वर्तमान में निवासरत है।

13. विप्रार्थी संख्या 2 के स्वामित्व एवं पट्टासुदा, कब्जाशुदा मकान का नाप उत्तरी भुजा 46 फीट 06 इंच, दक्षिणी भुजा 46 फीट 06 फीट, पूर्वी भुजा 20 फीट 06 इंच व पश्चिमी भुजा 36 फीट 15.6 फीट है। उपरोक्त भूखण्ड

पर विप्रार्थी संख्या 02 के पिता द्वारा वर्ष 1984 में मकान बनाया गया था, जो वर्तमान में भी विद्यमान है। उपरोक्त मकान का पट्टा विलेख नगर परिषद, बाड़मेर द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी कर रखा है व उपपंजीयक कार्यालय, बाड़मेर में पंजीबद्ध है। उपरोक्त दोनों मकान के अलावा अन्य मकान मय सम्पूर्ण भूमि विप्रार्थी संख्या 02 के पिता श्यामदास के स्वामित्व व अधिपत्य की थी, जिसका नाप पूर्व-पश्चिम में 46 फीट 06 इंच, उत्तर-दक्षिण 87 फीट 09 इंच है तथा जिसके पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में देवीलाल ओमप्रकाश का मकान, उत्तर में आम रास्ता तथा दक्षिण में आम रास्ता आया हुआ है। उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि परिशिष्ट 'अ' में ABCD के मध्य चार मकान बने हैं, जिसके मार्क 1, 2, 3 व 4 से दर्शित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मार्क 1 व 2 के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। विप्रार्थी संख्या 2 के पिता श्यामदास द्वारा अपने आवासीय मकान मय चौभीता रास्ते की भूमि पर विद्यमान होने के कारण भूमि नगर परिषद द्वारा कब्जा हटाकर पुन रास्ते में विलीन कर दी गई एवं 39 गुना 85 बराबर 254.00 वर्गफीट का कब्जा स्वीकृत करते हुए विप्रार्थी संख्या 2 के पिता श्यामदास को परिसर बनाने की इजाजत दी गई, जो इजाजत 22.08.1971 को दी गई, इसलिए यह नगरपालिका के स्वतव की भूमि थी। तत्पश्चात् नगरपालिका द्वारा अधिक भूमि 254 वर्गफीट रास्ते की विप्रार्थी संख्या 2 के पिता के नाम नियमन कर 522.50/- राशि वसूल की गई थी। उक्त नियमन हेतु पंजीयत हेतु नगर परिषद द्वारा प्रार्थी श्यामदास को दिनांक 12.11.1981 जारी किया गया। तत्पश्चात् श्यामदास ने पुनः खांचा भूमि 7 गुना 87.9 फीट हेतु नगरपालिका में आवेदन पेश किया, जिसका भी नियमन विप्रार्थी के पिता के पक्ष में किया गया इस प्रकार कुल भूमि 46.6 फीट गुना 87.9 फीट विद्यमान थी, जिसे परिशिष्ट 'अ' में ABCD के मध्य दर्शाया गया है। तत्पश्चात् विप्रार्थी संख्या 2 के पिता श्यामदास द्वारा सम्पूर्ण भूमि के संबंध में भवन निर्माण इजाजत पत्रावली नगरपालिका, बाड़मेर में प्रस्तुत की गई। जो पत्रावली नगर पालिका के यहां प्रकरण संख्या 240/1984 दर्ज की गई एवं उक्त पत्रावली में पूर्व में नियमित भूमि का उल्लेख कर विप्रार्थी संख्या 2 के पिता के नाम भवन

निर्माण स्वीकृति जारी की गई। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि नगरपालिका के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होना प्रमाणित है एवं नगर पालिका द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि विधिअनुसार शुल्क प्राप्त कर विप्रार्थी संख्या 2 के पिता के नाम नियमन कर नियमित की गई, तत्पश्चात् संपूर्ण भूमि पर मकान का निर्माण वर्ष 1984 में भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर करवाया गया था। विप्रार्थी संख्या 02 के पिता की जायदाद परिशिष्ट में ABCD दर्शाया गया है एवं उक्त जायदाद में से भूखण्ड संख्या 01 व 02 को हस्तगत प्रकरण के जरिए गलत रूप से चुनौती दी गई है।

14. वादग्रस्त परिसर की भूमि पर प्रार्थी के दादा प्रतापसिंह का कभी कोई मालिका हक नहीं रहा है तथा उनके देहान्त के पश्चात् मेघसिंह के मालिक होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी के पिता को उक्त भूमि श्यामलाल व सतीबाई को बेचने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त बचान प्रार्थी के पिता द्वारा गलत रूप से किया गया था, क्योंकि उक्त भूमि वक्त सेटलमेंट राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज की गई एवं तत्पश्चात् उक्त भूमि नगरपालिका, बाड़मेर को सुपुर्द की गई। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट 1952 में प्रथम बार पैमाइश होने पर संपूर्ण बाड़मेर शहर की आबादी का खसरा नंबर 1585 करीब 1242 बीगा 06 बिस्वा का बिल्ला कब्जा दर्ज किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि खसरा नंबर 1585 गैर मुमकिन आबादी का स्वामित्व किसी भी व्यक्ति के पास नहीं था, बल्कि राज्य सरकार में नहित हुआ था। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पिता को उक्त बचान करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं होता है। उक्त भूमि नगरपालिका की हीने से श्यामदास द्वारा इसका नियमन नगरपालिका से करवाया गया। प्रार्थी ने इस पद में कथन किया है कि 5 गुना 58.8 भूमि कस्तूरी देवी ने दबा ली, जबकि कस्तूरी देवी वर्तमान में 43 गुना 47 फीट भूमि पर काबिज है एवं कस्तूरी देवी के विक्रय पत्र के अनुसार कस्तूरी देवी का भूखण्ड पूर्व-पश्चिम 43 फीट भूमि अंकित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा नक्शे में उल्लेखित सतीबाई की भूमि मौके पर विद्यमान नहीं होती है।

15. प्रार्थी ने कथन किया है कि शेष भूमि का बंटवारा प्रार्थी के पिता द्वारा कर

संलग्न नक्शा का D भाग देवीसिंह व E भाग प्राइवेट गली तथा एफ भाग प्रार्थी के बंट में दी, जबकि प्रार्थी के पिता द्वारा उक्त बंटवारा कब और कहां किया, इसका कोई उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त F भाग 15 फीट का विद्यमान नहीं है और न ही प्राइवेट गली है, बल्कि विप्रार्थीगण के मकान के पूर्व में अवस्थित गली सार्वजनिक रास्ता है। सार्वजनिक रास्ता कभी व्यक्तिगत संपत्ति में नहीं आता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के भाई देवीसिंह द्वारा तथाकथित बेचान दिनांक 19.01.1979 गोरखसिंह को करने का उल्लेख किया है, उक्त बेचान में प्रार्थी के भाई देवीसिंह द्वारा प्रार्थी की भूमि का उल्लेख नहीं कर विप्रार्थीगण संख्या 02 के पिता श्यामदास का मकान होने का उल्लेख किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की कोई भूमि तत्समय मौके पर विद्यमान नहीं थी। भवन निर्माण स्वीकृति पत्रावली संख्या 240/84 दिनांक 26.09.1984 जारी करवाई गई, जो परिशिष्ट 'अ' में उल्लेखित है। इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध तरीके से विप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों का भौतिक रूप से कब्जा चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा के मार्क G स्थान 18 गुना 22 की भूमि अपनी होने का मिथ्या उल्लेख किया है, जबकि उपरोक्त भूमि जसराज सोनी का व्यवसायिक पट्टाशुदा तीन मंजिला व्यवसायिक परिसर है, जिसका पट्टा नगर परिषद द्वारा जसराज सोनी के पक्ष में जारी किया गया एवं तत्पश्चात् नगर परिषद, बाड़मेर द्वारा व्यवसायिक भवन निर्माण स्वीकृति दी गई।

16. विप्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्यशुदा मकान मौके पर भिन्न-भिन्न रूप में अवस्थित है, जिसे परिशिष्ट 'अ' में दर्शाया गया है, जिसका स्वरूप वर्तमान में चार भाग में विभाजित है। मकान संख्या 01 1984 में बना है, जिसका नगर परिषद द्वारा पट्टा जारी कर रखा है। मकान संख्या 02 ललिता देवी द्वारा वर्ष 2023 में मुकेश कुमार को बजरिए पंजीबद्ध भेंट पत्र के भेंट किया गया। मकान संख्या 03 जसराज सोनी द्वारा नगर परिषद के अनुज्ञा पत्र से तीन मंजिला व्यवसायिक परिसर बना हुआ है। मकान संख्या 04 राजेश कुमार पुत्र श्यामसुन्दर का करीब 50 वर्ष से बना हुआ मकान

है। राजेश कुमार के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा निष्पादित किया गया। इस प्रकार मौके पर प्रार्थी का कोई भूखण्ड नहीं है। विप्रार्थी संख्या 1 ने अपने स्वामित्व व आधिपत्यशुदा मकान को जर्जर होने के कारण नया निर्माण अर्थात् नवीनीकरण करने हेतु नगर परिषद, बाड़मेर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 31.05.2024 को स्वीकृति जारी करने के पश्चात् ही नवीनीकरण का कार्य आरंभ करवाया गया था। प्रार्थी कभी विप्रार्थीगण के स्वामित्वशुदा परिसर पर नहीं आया और न ही विप्रार्थीगण को निर्माण कार्य रोकने हेतु कहा, न ही कभी ओलबा दिया। विप्रार्थी संख्या 1 के स्वामित्व एवं आधिपत्य का मकान वर्ष 1984 से पूर्व ही बना हुआ था। विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विधिनुसार अपने भूखण्ड पर नगर परिषद से भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत कार्य करवाया गया था, जो पूर्ण हो चुका है।

17. उपरोक्त वादग्रस्त संपत्ति परिसर पर स्थापित बिजली व जल के बिल विप्रार्थीगण के नाम से निरंतर आ रहे हैं। पिछले 55 वर्षों से प्रार्थी द्वारा कभी भी विप्रार्थीगण को चुनौती नहीं दी गई। वादग्रस्त संपत्ति का स्वामित्व तत्समय नगर पालिका में निहित हो चुका था, तत्पश्चात् वादग्रस्त परिसर का स्वत्व विप्रार्थीगण में विधिनुसार निहित है, ऐसी दशा में प्रार्थी विप्रार्थी के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विप्रार्थीगण वादग्रस्त परिसर पर पिछले 55 वर्षों से निरन्तर व शांतिपूर्वक काबिल चले आ रहे हैं एवं विधि अनुसार वादग्रस्त जायदाद स्वत्व विप्रार्थीगण में निहित है, ऐसी स्थिति में यदि विप्रार्थीगण के अधिकारों पर रोक लगाई जाती है, तो अपूरणीय क्षति प्रार्थी को न होकर विप्रार्थीगण को होगी।

18. अतः विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपटित धारा 151 सी.पी.सी का जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार, गलत, मनगढ़ंत एवं मिथ्या होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

19. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र में वर्णितानुसार अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए गए।

1. Bachraj vs Sumermal-(43) D.B. Civil Reference No. 51 of 1960, decided on 2nd November, 1962
 2. Bool Singh vs State of Rajasthan & Ors. S.B. Civil Petition No. 3815 of 1999; decided on 9th October, 2000
 3. D.B. CIVIL SPECIAL APPEAL NO. 531 OF 1999 SMT. DARIYA KANWAR vs STATE OF RAJASTHAN & ORS. DATE OF JUDGMENT 10TH APRIL, 2002
 4. S.B. Civil Writ Petition No. 3960/2010 Dariya kanwar vs State of Raj. And Ors. Decided on 04.09.2024
 5. REVIEW PETITION (C) NO. 1534 OF 2003 State of Rajasthan & Ors. vs Dariya kanwar with REVIEW PETITION (C) NO. 1546 OF 2003 State of Rajasthan & Ors. vs Dara Singh. decided on 06.01.2003
 6. 1996(1) CIVIL COURT CASES 431 (S.C.) Smt. Rajnibai Vs Smt. Kamla Devi & Ors. Civil Appeal No. 2525 of 1996 (Arising out of SLP (C) No. 7209 of 1993), D/12.01.1996.
-

7. 2005(1) APEX COURT JUDGMENTS 457 (S.C.) Maharwal Khewaji Trust (Regd.), Faridkot Vs Baldev Dass Civil Appeal No. 6792 of 2004 (Arising out of SLP (C) No. 14972 of 2004), D/15.10.2004.
 8. 2017(3) APEX COURT JUDGMENTS 212 (S.C.) Dev Prakash & Anr. Vs Indra & Ors. Civil Appeal No. 5791-5792 of 2017 (Arising out of SLP Nos. 8783-8784 of 2016), D/01.05.2017
 9. 2019(3) CIVIL COURT CASES 363 (H.P.) Master Abeer Singh Vs Savita Sharma & Ors. OMP No. of 2018, D/08.01.2019
 10. [2010(1) DNJ (Raj.) 61] Kera Ram & Anr. Vs Mohanlal & Ors. [S.B. Civil Appeal No. 1291 of 2009; decided on 14.10.2009]
 11. [2013(3) DNJ (Raj.) 1094] Rajeshwer Shankar Choudary @ Rajesh Vs Shiv Shankar Choudary & Ors. [S.B. Civil Misc. Appeal No. 993 of 2013; decided on 01.05.2013]
 12. [2024(4) DNJ (Raj.) 1752] Ram Singh Vs Mukesh kumar & Anr. [S.B. Civil Misc. Appeal No. 2928 of 2024; decided on 19.11.2024]
 13. [2025(1) CJ (Civ.) (Raj) 26] Ram Singh Vs Mukesh kumar & Anr. S.B. Civil Misc. Appeal No. 2928 of 2024; decided on 19th Nov., 2024
-

14. 2010 (4) CIVIL COURT CASES 612 (RAJASTHAN)
Narendra Jaypal & Ors. Vs Jethmal Baravad & Anr.
S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 780 of 2008,
D/14.09.2009
15. 2015 (2) CIVIL COURT CASES 427 (RAJASTHAN)
Sirajuddin @ Vajir Miyan Vs S.B. Civil Writ Petition
No. 9909 of 2012, D/16.05.2014
16. 2014 (2) CIVIL COURT CASES 398 (RAJASTHAN)
Bhagwati singh Vs Raja Laxman Singh S.B. Civil
Miscellaneous Appeal No. 3459 of 2008,
D/11.12.2013
20. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता विप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मय खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया।
21. उभय पक्षकारान के तर्कों पर विचार किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया।
22. अस्थाई व्यादेश के तहत प्रार्थी को अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को प्रमाणित करना आवश्यक है :-

प्रथम दृष्टया मामला :-

23. प्रार्थीनी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अभिकथित किया है कि खसरा नंबर 3150/1585 में एक प्लॉट जो पूर्व-पश्चिम 165 फीट व उत्तर-दक्षिण 58.8 फीट, उत्तर में गली, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में कस्तूरी का मकान और पश्चिम में देवीलाल सोनी का मकान स्थित है, का पट्टा तत्कालीन

शासक जागीरदारान पांचो भारावतो ने सम्बत् 1981(सन् 1984) की मिति मिगसर सुदी पाचम को उनके कब्जे की पुष्टी करते हुए रियायत करके रुपये 251/- प्रार्थी के दादा प्रतापसिंह के पक्ष में जारी किया था। प्रार्थी के दादा की मृत्यु के बाद उक्त भूखण्ड के मालिक प्रार्थी के पिता मेघसिंह जी हुए। उक्त पट्टाशुदा जमीन में इस संलग्न नक्शे अनुसार ए भाग का चंद्रनाथ पुत्र सोननाथ को जरिए रजिस्टर्ड बेचाननामा के बेचान किया, नक्शे में दर्शाए बी भाग को श्यामलाल पुत्र शंकरानंद को जरिए रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 17.07.1962 को किया, नक्शे में दर्शित सी भाग को सतीबाई पत्नी गोरखसिंह को जरिए रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 14.09.1970 को किया एवं इसके बाद बची शेष भूमि 88 गुना 58.8 फुट, जिसमें से 5 गुना 58.8 फुट कस्तुरी ने दबाली तथा शेष जमीन का प्रार्थी के पिता मेघसिंह ने मौखिक बंटवारा अपने जीवनकाल में अपने दो पुत्रों देवीसिंह और रामसिंह के बीच में कर दिया तथा नक्शे में दर्शित डी भाग 40 गुना 50 फुट को अपने पुत्र देवीसिंह को दे दिया तथा ई भाग में से 15 गुना 58.8 फुट की प्राइवेट गली को छोड़ते हुए शेष एफ भाग बना 28 गुना 58.8 फुट की जमीन प्रार्थी रामसिंह को दे दी गई। प्रार्थी के पिता मेघसिंह ने जो डी भाग अपने पुत्र देवीसिंह को दिया था, वह देवीसिंह ने गौरखसिंह पुत्र सुजानसिंह को जरिए रजिस्टर्ड बेचान 19.01.1979 को कर दिया। इस प्रकार नक्शे में दर्शित एफ भाग की जमीन **अ ब स द** थी, जिसका एकमात्र स्वामी प्रार्थी रामसिंह है, जिसका नाप उत्तर-दक्षिण 58.8 फीट, पूर्व-पश्चिम 28 फीट कुल 1646.4 फुट हुआ। इस एफ भाग में दर्शित **अ ब ल र व** एवं **व र य द** प्रार्थी के पट्टाशुदा भूखण्ड का हिस्सा है तथा जी भाग, जो **र ल स य** 18 गुना 22 फुट के लिए प्रार्थी ने एक अलग से दावा जसराज के विरुद्ध पेश किया है। दिनांक 24.09.2024 को प्रार्थी इस एफ भाग की देखभाल करने हेतु गया तो वहां पर निर्माण सामग्री पड़ी हुई थी तथा प्रार्थी द्वारा पूछताछ करने पर पता चला कि मार्क **अ ब ल र व** पर विप्रार्थी संख्या 1 और **व र य द** पर विप्रार्थी संख्या 2 निर्माण कार्य करवा रहे हैं, तब प्रार्थी उनसे मिला, लेकिन फिर भी विप्रार्थीगण नहीं माने और विप्रार्थी नाजायज तौर पर निर्माण करवाने में

लगे हैं, जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने अपने समर्थन में भाखरसिंह द्वारा कार्यालय नगर परिषद, बाड़मेर में प्रस्तुत भूमि के आवंटन नियमितीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने फोटो कॉपी, कार्यालय नगर परिषद, बाड़मेर की पत्रावली संख्या 2168/2013 भाखरसिंह के नाम की फोटोकॉपी, कार्यालय नगरपालिका मण्डल की बैठक कार्यवाही विवरण की फोटोकॉपी, विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जसराज सोनी के हक में निष्पादित बेचाननामे की फोटोकॉपी, प्रार्थी के दादा के पक्ष में जारी पट्टे की प्रति व उसका हिंदी रूपांतरण, प्रार्थी के पिता द्वारा श्यामलाल को रजिस्टर्ड बेचाननामा की प्रति, प्रार्थी के पिता द्वारा सतीदेवी को जरिए रजिस्टर्ड बेचान की प्रति, देवीसिंह द्वारा गौरखसिंह को जारी बेचान की प्रति, निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स पेश किए हैं।

24. विप्रार्थीगण ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किए हैं कि प्रार्थी के कथन पूर्णतया गलत हैं। तथाकथित पट्टा जोधपुर स्टेट (मारवाड़) द्वारा जारी स्टाम्प पेपर पर नहीं है, न ही तत्कालीन रियासत जोधपुर स्टेट (मारवाड़) द्वारा जारी पंजीबद्ध प्रक्रिया के अधीन निष्पादित है। सन् 1956 में जागीरदारी प्रथा समाप्त हो गई थी, इसलिए 100 वर्ष पुराने सादे पेपर का कोई महत्व नहीं है। प्रार्थी के दादा का यदि खसरा नंबर 1585 में कब्जा होता तो वक्त सेटलमेंट उनका नाम दर्ज होता, लेकिन ऐसा नहीं है। उक्त नाप का भूखण्ड विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के स्वामित्व का है। उपरोक्त भूखण्ड पूर्व में श्यामदास के स्वामित्व का था। उसके देहान्त के बाद जेठी देवी पत्नी श्यामदास का हो गया, तत्पश्चात् जेठी देवी द्वारा जरिए रजिस्टर्ड बेचान अपनी दोहिती ललिता देवी पत्नी राजेश कुमार पुत्री श्यामसुन्दर के पक्ष में निष्पादित किया गया, जिस बाबत् जेठी देवी द्वारा इस वादपत्र को निरस्त करने का भी एक दावा पेश किया गया था। जेठी देवी की मृत्यु के पश्चात् गौरव वैष्णव उसका कायम मुकाम हुआ और जरिए राजीनामा इस प्रकरण का निस्तारण किया गया और ललिता देवी द्वारा यह मकान जरिए रजिस्टर्ड भेंटपत्र विप्रार्थी संख्या 1 को सुपुर्द किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 के कब्जे में जो पट्टाशुदा मकान है, पूर्व-पश्चिम नाम 46.6 फीट है, उत्तर-दक्षिण नाप 15.

6 फीट है। इस प्रकार विप्रार्थी संख्या 2 के पिता ने मकान 1984 में बनाया था तथा उसका बेचान भी जारी करवाया गया। उक्त दोनों मकानों के अलावा अन्य मकान विप्रार्थी संख्या 2 के पिता श्यामदास के स्वामित्व के हैं। उपरोक्त संपूर्ण भूमि निर्मित मकान परिशिष्ट 'अ' में ए बी सी डी में दर्शाई हुई है, जिसमें चार मकान बने हुए हैं, जो 1, 2, 3 व 4 हैं। प्रस्तुत प्रकरण 1 व 2 के संबंध में है। विप्रार्थी संख्या के पिता श्यामदास द्वारा अपने आवासीय मकान पर कब्जा विद्यमान होने के कारण भूमि नगर परीषद द्वारा कब्जा हटाकर पुनः रास्ते में विलीन कर दी गई और 39 गुना 85 बराबर 254 फुट का कब्जा स्वीकृत करते हुए विप्रार्थी संख्या 2 के पिता श्यामदास को परिसर बनाने की इजाजत दी गई, जो इजाजत दिनांक 22.08.1971 को दी गई, इसलिए यह नगरपालिका के स्वत्व की भूमि थी। तत्पश्चात् नगरपालिका द्वारा अधिक भूमि 254 फुट रास्ते की नियमन की गई और श्यामदास को दी गई, जिसका नियमन दिनांक 12.11.1981 को किया गया। तत्पश्चात् श्यामदास ने पुनः खांचा भूमि 7 गुना 87.9 फीट हेतु नगरपालिका बाड़मेर में आवेदन पेश किया, जिसका भी नियमन विप्रार्थी के पिता के पेक्ष में किया गया। इस प्रकार कुल भूमि 46.6 फीट गुणा 87.9 फीट, जिसे ए बी सी डी के रूप में दर्शाया गया है। इस पर भवन निर्माण की अनुमति हेतु पत्रावली नगर पालिका में पेश की, निर्माण स्वीकृति जारी की गई। प्रार्थी के पिता द्वारा उस भूमि का गलत रूप से बेचान किया गया है, जबकि वक्त सेटलमेंट यह राज्य सरकार में हो गई थी और नगरपालिका को सुपुर्द कर दी गई थी। वक्त सेटलमेंट इसको खसरा नंबर 1585 करीब 1242 बीघा 6 बिस्वा का बिल्ला कब्जा दर्ज किया गया, जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि यह किसी के स्वामित्व की नहीं थी, बल्कि यह राज्य सरकार की थी और नगरपालिका की होने से श्यामदास द्वारा इसका नियमन नगरपालिका से करवाया गया। कस्तुरी देवी वर्तमान में 43 गुना 47 फीट पर काबिज है, इस प्रकार मकान संख्या 1 का 1984 में पट्टा जारी हो चुका है। मकान संख्या 2 ललिता देवी द्वारा 2023 में मुकेश कुमार को जरिए पंजीबद्ध भेंट पत्र के भेंट किया गया। मकान संख्या 3 जसराज सोनी द्वारा नगर परिषद की अनुज्ञा से

तीन मंजिला परिसर है। मकान संख्या 4 राजेश कुमार पुत्र श्यामसुन्दर का करीब 50 साल से बना हुआ मकान है। राजेश कुमार के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा निष्पादित किया गया। इस प्रकार मौके पर प्रार्थी का कोई भूखण्ड नहीं है। विप्रार्थी संख्या 1 ने अपने मकान संख्या 2 को जरजर होने के कारण नवीनीकरण का आवेदन किया था, जो स्वीकार हुआ और लगभग कार्य पूरा हो चुका है। विप्रार्थी ने अपने पक्ष में जो दस्तावेज पेश किए हैं, उनमें पट्टा विलेख जो विप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी हुआ दिनांक 20.10.2021, विक्रय पत्र जो प्रार्थी संख्या 1 के नाम पंजीबद्ध है, निर्माण स्वीकृति की फोटोप्रति दिनांक 31.05.2024, भवन निर्माण स्वीकृति दिनांक 06.07.1985, फोटोप्रति खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2012 (सन् 1952) वादग्रस्त खसरा नंबर 1585, जमाबन्दी वर्तमान जो राज्य सरकार के नाम दर्ज, विप्रार्थी संख्या 1 के नाम से जारी पानी व बिजली के बिल, खांचा भूमि नियमन पत्रावली दिनांक 29.12.80, विक्रय-पत्र दिनांक 19.01.79 प्रार्थी के भाई देवीसिंह द्वारा बेचान किया गौरख सिंह के नाम, भवन निर्माण स्वीकृति क्रेता गौरख सिंह की, बिजली बिल विप्रार्थी के पिता के नाम जारी, प्रकरण संख्या 99/2016 बअनवान जेठी देवी बनाम ललिता देवी में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट, जांच प्रतिवेदन की फोटोप्रति जो जिला कलेक्टर को प्रेषित की गई, परिशिष्ट 'अ' की फोटोप्रति है।

25. इस प्रकार प्रार्थी का यह कथन कि जागिरदारों द्वारा उसके दादा को एक पट्टा जारी किया गया था, जो उत्तर-दक्षिण हाथ 32 और उगमण-हागमण हाथ 90 हुआ, संलग्न नक्शे में ए बी सी डी ई एफ जी दर्शाया गया है, उसमें से उसने ए मार्क से दर्शित भाग चन्द्रनाथ को बेचा था, बी मार्क से दर्शित भाग श्यामलाल पुत्र शंकरानंद को बेचा था, सी मार्क से दर्शित भाग सतीबाई को बेचा था तथा डी मार्क से दर्शित भाग प्रार्थी के भाई देवीसिंह द्वारा गौरखसिंह को बेचा था और नक्शे में एफ मार्क में दर्शित मार्क **अ ब स द** प्रार्थी रामसिंह की है, जिसमें से जी भाग जसराज के कब्जे में है तथा नक्शे में दर्शित मार्क **अ ब ल र व** अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे में है तथा मार्क **व र य द** गौरव वैष्णव के कब्जे में है, इस संबंध में प्रार्थी ने एक विक्रय विलेख जो गौरव वैष्णव ने जसराज

सोनी को बेचा है, पेश किया है, जो 18 गुणा 22 के नाप का है, कुल क्षेत्रफल 396 पर फीट है। उक्त विक्रय विलेख में विप्रार्थी संख्या 2 गौरव वैष्ण ने बिंदु संख्या 1 में यह उल्लेखित किया है कि उक्त भूखण्ड मेरे पिता श्यामलाल पुत्र शंकरानन्द ने अपने जीवनकाल में बजरिए पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 17.07.1962 को मेघसिंह पुत्र प्रतापसिंह से क्रय किया। उक्त विक्रय पत्र उपपंजीयक कार्यालय, बाड़मेर में दिनांक 17.07.1962 को बही नंबर 01 जिल्द नंबर 22 सफा नंबर 221/222 सिलसिला नंबर 465/62 पर पंजीबद्ध किया। बिंदु संख्या 2 में उल्लेखित किया कि श्यामदास उर्फ श्यामलाल की मृत्यु के बाद उनकी विधिक संरक्षक जेठी देवी उनकी पत्नी थी और जेठी देवी की मृत्यु के पश्चात् उनका एकमात्र संरक्षक विप्रार्थी संख्या 2 गौरव वैष्णव हुआ। इस प्रकार इस विक्रय विलेख में यह प्रथमदृष्ट्या स्वीकृतशुदा तथ्य है, जो कि विप्रार्थी संख्या 2 ने स्वीकार किया है कि यह भूमि उसके पिता श्यामदास उर्फ श्यामलाल ने मेघसिंह यानी प्रार्थी के पिता से खरीदी थी। अब यह तथ्य की यह भूमि विभाजन के बाद राज्य सरकार में निहित हो गई थी तथा प्रार्थी के पिता को बेचान का कोई अधिकार नहीं है, यह सभी बिन्दु साक्ष्य होने के बाद ही तय किए जा सकते हैं। इसके अलावा क्या नगरपालिका को इस भूमि के संबंध नियमन करने का पट्टा जारी करने का अधिकार था या नहीं यह भी साक्ष्य के उपरांत ही तय किया जा सकता है। कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में इस भूमि पर निर्माण भी हो रहा था, जो कि पूर्ण नहीं हुआ। चूंकि प्रार्थी के पिता ने जो भूमि श्यामदास उर्फ श्यामलाल को विक्रय की, उसी श्यामदास की पत्नी जेठी देवी ने उक्त भूमि अपनी दोहिती ललिता को भेंट की। तत्पश्चात् जेठी देवी द्वारा इस भेंट पत्र को निरस्त करने का दावा पेश किया, जिसमें राजीनामा हुआ तथा यह भूखण्ड ललिता ने विप्रार्थी संख्या 1 मुकेश कुमार को जरिए रजिस्टर्ड भंत्र पत्र दिया। इस प्रकार वह भूमि भी स्वयं विप्रार्थीगण ने प्रार्थी के पिता मेघसिंह से श्यामदास उर्फ श्यामलाल द्वारा खरीदनी बताई है। ऐसे में अप्रत्यक्ष रूप से यह संपूर्ण भूमि पूर्व में प्रार्थी के दादा की थी, जो प्रथमदृष्ट्या साबित है। अतः प्रथमदृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है।

सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति :-

26. जहां तक अपूरणीय क्षति, सुविधा का संतुलन का प्रश्न है तो न्यायालय द्वारा नियुक्त मौका कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ्स से दर्शित हो रहा है कि उक्त भूखण्ड रहवास करने की स्थिति में नहीं है, ऐसे में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो विप्रार्थीगण को किसी प्रकार की असुविधा होने का प्रश्न नहीं है। स्वयं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह मत प्रतिपादित किया है कि लिटिगेशन के दौरान संपत्ति को संरक्षित किया जाना चाहिए। ऐसे में विप्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति होने का भी कोई प्रश्न नहीं है। अतः यह दोनों बिंदु भी प्रार्थी के पक्ष में तय किए जाते हैं।

27. अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपटित धारा 151 सी.पी.सी. बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि विप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 में वर्णित प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य के पट्टासुदा वादग्रस्त भूखण्ड एफ भाग में दर्शित मार्क **अ ब ल र व** तथा मार्क **व र य द** पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे, न ही अन्य से करवाए तथा न ही वादग्रस्त भूखण्ड का अन्यत्र अंतरण करे एवं वादग्रस्त भूखण्ड की आज दिन की मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

(डॉ. सिम्पल शर्मा)

28. आदेश आज दिनांक 27.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सिम्पल शर्मा)